पिछड़ेपन से
प्रगति की ओर

१९७४ चुनाव घोषणापत्र

भारतीय जनसंघ उ. प्र.

सारे देश की आँखें आज उत्तर प्रदेश की ओर लगी हैं। प्रदेश के ५ करोड़ मतदाता आनेवाली २४, २६ फरवरी, १९७४ को पांच वर्षों के लिये अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। यह फैसला उत्तर प्रदेश के लिए निर्णायक और समूचे भारत की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा।

उत्तर प्रदेश दिशा दिखायेगा

इसका कारण केवल यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ देश का हर छठा मतदाता रहता है। इसका कारण यह भी नहीं है कि देश के तीनों प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आये। इसका वास्तविक कारण यह है कि उत्तर प्रदेश उस आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की भयावह तस्वीर है जो कांग्रेस के गत २६ वर्ष के कुशासन की देन है। शेष भारत की जनता देखना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध मतदाता इस तस्वीर को बदलने के लिए कौनसा कारगर उपाय अपनाते हैं।

सन् १९५१ में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सार्वदेशिक औसत से ५ प्रतिशत अधिक थी। आज यह सार्वदेशिक औसत से १६ प्रतिशत कम है। गत २२ वर्षों की तरक्की की यह मुंह बोलती कहानी है।

सारे देश में दरिद्रतम जिलों की संख्या ४८ है, जिनमें से २७ जिले उत्तर प्रदेश के हैं।

पिछड़ता प्रदेश

उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान है, किन्तु यहां की प्रति हैक्टर उत्पादन ८१९ किलोग्राम है, जबकि राष्ट्रीय उत्पादन ११३४ किलोग्राम है। उद्योग राष्ट्रीय उत्पादन में १८ प्रतिशत योगदान देते हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ १० प्रतिशत है। देश में कारखानों में प्रति दस

हजार व्यक्ति पर ९८ लोग काम में लगे हैं, उत्तर प्रदेश में यह संख्या केवल ४७ है।

कृषि तथा उद्योग के साथ साथ उत्तर प्रदेश विद्युत की खपत, सड़कों, रेल, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाओं की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की खपत प्रति व्यक्ति ९० युनिट है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह खपत केवल ५८ युनिट है। देश में प्रति लाख व्यक्ति पर ५६ किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा ५० किलोमीटर है। देश में १०० में से ३० लोग साक्षर हैं, उत्तरप्रदेश में यह सौभाग्य केवल २० व्यक्तियों को प्राप्त है।

६१ फीसदी निकृष्ट निर्धन

प्रदेश की ६१ फीसदी जनता प्रति व्यक्ति उपभोग के न्यूनतम स्तर से भी नीचे है और निकृष्ट निर्धनता का जीवन बिता रही है।

उत्तर प्रदेश में विकास सम्बन्धी परिव्यय योजनाओं के प्रारम्भ से ही अखिल भारतीय औसत की तुलना में काफी कम हुआ है।

पहली योजना में प्रति व्यक्ति यह परिव्यय केवल २४ रुपये था जबकि अन्य राज्यों में यह परिव्यय ५० रुपये था।

दूसरी और तीसरी योजना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय में यद्यपि कुछ बढ़ोत्तरी हुई, किन्तु अन्य राज्यों की तुलना में यह निम्नतम ही बना रहा। वस्तुस्थिति तो यह है कि इस मामले में तीसरी योजना में स्थिति और बिगड़ गई। जहां और राज्य आगे बढ़ रहे थे वहां उत्तरप्रदेश अपनी ही जगह पांव पटकता रहा।

चौथी योजना में प्रति व्यक्ति परिव्यय की कल्पना १०३.०८ रु०, जबकि अन्य राज्यों का प्रति व्यक्ति परिव्यय १२२.३९ रुपये है। यह परिव्यय हरियाणा में २१४.६३, पंजाब में १९०.९१ और महाराष्ट्र में १२७.५९ रु० है।

सौतेला व्यवहार

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की निरन्तर उपेक्षा की गई है।

इसके दो प्रमाण हैं—प्रथम, प्रदेश को दी गई केन्द्रीय सहायता अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम रही है। दूसरे, केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में पूंजी लगाने का स्तर बहुत नीचा रहा है।

पहली योजना में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश में केवल १३.३८ रुपये थी जबकि शेष राज्यों में यह धनराशि इसकी लगभग दुगनी २५.७६ रुपये थी। दूसरी, तीसरी तथा चौथी योजनाओं में केन्द्र की यह उपेक्षा वृत्ति जारी रही।

केन्द्र सरकार के उपकरणों में ३१ मार्च, १९६८ तक लगाई गई कुल पूंजी ३०४२.४ करोड़ रुपये थी इसमें से उत्तर प्रदेश का अंश केवल १२५.६ करोड़ रुपये था जो कुल पूंजी का केवल ४.१ प्रतिशत था। चौथी योजना में यह अनुपात बढ़ने के बजाय और घटने की आशा है। इस योजना में सम्पूर्ण देश में केन्द्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली ३१५७.८६ करोड़ की प्रस्तावित पूंजी में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा प्रायः ३९.४ करोड़ होने की आशा है जो कुल पूंजी का केवल १.३ प्रतिशत होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय किया गया। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निजी क्षेत्र ने सम्पूर्ण देश में ७००० करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लगाई। इसमें से उत्तर प्रदेश को केवल ७ प्रतिशत ही हिस्सा मिला।

स्थिति कहां तक बिगड़ गई है, इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो बचतें की जाती हैं, उनका उचित विनियोग भी इसी राज्य में नहीं होता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार १९६९ में की गई कुल बैंक जमा धनराशियों में से राज्य के भीतर विनियोग के लिए केवल ४४.५ प्रतिशत धनराशि उपलब्ध की गई जबकि सम्पूर्ण देश का प्रतिशत ७५.५ था। प्रदेश ने, देश के विभिन्न बैंकों में कुल जमा धनराशि का ८.३ प्रतिशत अंशदान दिया, किन्तु बैंकों से प्राप्त ऋण में इसका अंश केवल ५ प्रतिशत था। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता जो कुछ बचाती है उसका उपयोग अन्य राज्यों के विकास के लिए किया जारहा है।

पूर्वी जिले

उत्तर प्रदेश के तीन भाग अर्थात् पूर्वी जिले, बुन्देलखण्ड तथा पर्वतीय क्षेत्र अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। इनके विकास के लिए अभी तक जो उपाय अपनाये गये हैं वे सर्वथा अपर्याप्त और अप्रभावशाली सिद्ध हुए हैं।

१९६८-६९ में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार समूचे उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय ४७६ रुपये वार्षिक थी किन्तु पूर्वी जिलों में यह राशि और भी कम थी। उदाहरण के लिये आजमगढ़ में २८० रुपये, जौनपुर में ३२३ रुपये, गाजीपुर में ३२५ रुपये, सुल्तानपुर में ३२७ रुपये, बस्ती में ३६२.५०, प्रतापगढ़ तथा बलिया में ३६६ रुपये, देवरिया में ३६७ रुपये, फैजाबाद में ३७३ रुपये, और बहराइच में ४०० रुपये थी। गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा गोण्डा में यह आय क्रमशः ४०७, ४११, ४१६ तथा ४३४ रुपये थी।

बुन्देलखण्ड

जहाँ तक बुन्देलखण्ड का सम्बन्ध है यह क्षेत्र सिंचाई की सुविधाओं से वंचित और परिवहन सम्बन्धी सेवाओं की दृष्टि से नितान्त उपेक्षित है। खेद का विषय यह है कि इस क्षेत्र की ओर ध्यान देने के बजाय वर्तमान शासन इसकी और अधिक अवहेलना करने का दोषी है।

१९७१-७२ में इन जिलों में कृषि पर होने वाला प्रत्याशित व्यय ७४.८९ लाख रुपये था, जबकि १९७२-७३ में परिव्यय की यह राशि घटकर ५९.३२ ही रह गई। लघु सिंचाई के क्षेत्र में यह व्यय ११५.२५ करोड़ से घटकर ९३ लाख रुपये ही रह गया। कुल कृषि कार्यक्रम पर गत वर्ष प्रत्याशित व्यय २८०.९७ करोड़ रुपये था, जो १९७२-७३ में २६३.५२ करोड़ ही रह गया।

पशु-पालन दुग्धशाला तथा दुग्ध-वितरण, वन, मछली तथा भंडारगार पर भी जो कृषि के समवर्गीय कार्यक्रम हैं, व्यय में कमी हुई है।

पर्वतीय क्षेत्र

पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध

हैं किन्तु इनमें निवास करने वाली जनता अत्यधिक गरीब है। कृषि योग्य भूमि की कमी, उपयुक्त धन्धों का अभाव, यातायात तथा संचार साधनों की अविकसित अवस्था इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। सारे प्रदेश की प्यास को बुझानेवाला यह क्षेत्र पेयजल की कमी से स्वयं प्यासा है। यह एक विडम्बना ही है। यह सच है कि पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र पर व्यय होने वाली राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है किन्तु यह भी उतना ही सच है कि उसका लाभ जनसाधारण तक नहीं पहुंचेगा।

इस भयावह स्थिति के लिये कौन उत्तरदायी है ?

बलि के बकरों की खोज

सन् १९४७ से लेकर आज तक, कुछ महीनों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश में सत्ता पर एक ही दल का एकाधिकार रहा है। यह दल आज अपनी चौमुखी विफलता पर पर्दा डालने के लिए नये बहाने गढ़ रहा है और बलि के बकरों की खोज में है। यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों की केन्द्र से मुठभेड़ दोषी है। यह कथन नितान्त हास्यास्पद है। ये सभी मुख्यमंत्री एक ही दल के थे और इस दल ने ही उनके हाथों में प्रदेश का भाग्य सौंपा था।

स्पष्टतः प्रश्न कुछ व्यक्तियों का नहीं, दल का है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए वही दल दोषी है, जिसने सारे भारत को आज गहरे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक संकट में फंसा दिया है।

आवश्यक वस्तुओं का भारी अभाव, कमरतोड़ मंहगाई तथा निरन्तर बढ़ने वाली बेकारी इस आर्थिक संकट के ही विभिन्न पहलू हैं। इस संकट के लिए भारत-पाक युद्ध या सूखे को दोष देना तथ्यों के विपरीत है। यह संकट मनुष्यकृत है।

दोहरा विश्वासघात

सन् १९७१ और १९७२ के चुनावों को क्रमशः गरीबी हटाने तथा राजनीतिक स्थिरता लाने के वादों पर जीता गया था। कांग्रेस दोनों ही वादों को पूरा करने में विफल रही है। गरीबी न हटी है, न घटी है, उल्टी बढ़ी है। गत तीन वर्षों में गरीबी की रेखा के नीचे, कंगालों का

जीवन बिताने वाली जनसंख्या का अनुपात सारे देश में बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में यह वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक है।

राजनीतिक स्थिरता देने के बजाय कांग्रेस दल ने समूचे राजनीतिक ढांचे को सत्ता लोलुपता के एकाकी खम्भे पर खड़ा कर दिया है। सत्ता ही उसका साधन और सत्ता ही उसका साध्य है।

सत्ता के लिए कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, मूलभूत अधिकारों को कांटा-छांटा है, न्यायपालिका की स्वाधीनता पर आघात किया है और राज्य तथा दल के बीच की विभाजन रेखा को, जो लोकतन्त्र की विशेषता होती है समाप्तप्राय कर दिया है। सत्तारूढ़ दल के कुछ संसद सदस्यों द्वारा सीमित तानाशाही की खुली वकालत आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना मालूम होती है।

जनता माफ नहीं करेगी

किन्तु इस चिन्ताजनक तस्वीर का एक आशाप्रद पहलू भी है और वह है जनता की यह बढ़ती हुई अनुभूति कि उसे मोहक नारों से छला गया है और उसका यह दृढ़ होता हुआ संकल्प कि वह उसके विश्वास की होली जलाने वालों को अदण्डित नहीं जाने देगी।

किसानों द्वारा अपनी मेहनत का लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने के लिए छेड़ा गया संघर्ष और उससे प्राप्त आंशिक सफलता, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन, समान काम के लिए समान मजदूरी तथा मंहगाई के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति की मांग के पक्ष में मजदूरों तथा कर्मचारियों का आन्दोलन, अध्यापकों, आचार्यों, डाक्टरों, इंजीनियरों द्वारा अपने वांछित के अनुरूप वेतनमानों तथा सम्मानप्रद स्थान की मांग के पक्ष में उठाये गये पग, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की रक्षा तथा अपने भविष्य की आश्वस्ति के लिए युवा शक्ति का उभरता हुआ आक्रोश, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरन्तर उग्र होती हुई लड़ाई—इस बात का प्रमाण है कि जनता उठ खड़ी हुई है और वह अपने भाग्य के साथ और अधिक खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी।

[illegible] देश में वर्तमान कुशासन के विरुद्ध जनरोष की

एक तीव्र लहर दौड़ रही है। यह रोष १९६७ में व्याप्त असंतोष से भी अधिक गहरा और उग्र है। १९६७ में कांग्रेस केवल असफल हुई थी। इस बार उसने जनता के साथ धोखा किया है।

ईमान खरीदने की कोशिश

जनसामान्य के बिगड़े तेवर को देखकर सत्ता कांग्रेस तरह-तरह के हथकण्डे अपना रही है। प्रदेश में चुनाव तक के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की भरपूर आपूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। जगह-जगह नयी विकास योजनाओं के शिलान्यास किये जा रहे हैं। भांति-भांति का लोभ देकर समूहबद्ध मतदाताओं के आक्रोश को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। किन्तु हमें विश्वास है कि ये प्रयत्न सफल नहीं होंगे। जनता जानती है कि चुनाव बीतते ही चार दिन की चांदनी के बाद कांग्रेस के साथ ही फिर अंधेरी रातें लौटने वाली हैं।

एक प्रभावी विकल्प

इस चुनाव में भारतीय जनसंघ राज्य की जनता के सम्मुख एक प्रभावी विकल्प के रूप में उपस्थित है। जनसंघ का आत्मविश्वास निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है :

१—जनसंघ राज्य के प्रायः हर क्षेत्र से अपने प्रत्याशी खड़े कर रहा है।

२—राज्य के जिले-जिले और तहसील-तहसील में जनसंघ का संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ है जो प्रशासन की त्रुटियों पर कठोर दृष्टि रखने और विकास योजनाओं के लिए जनता का स्वेच्छापूर्ण सहयोग संगठित करने में समर्थ है।

३—जनसंघ एक परखी हुई पार्टी है। अतीत में ही दिल्ली की जनता ने १९६७ में हिम्मत कर के पूर्ण बहुमत दिया तो जनसंघ प्रशासन ने दिल्ली का कायाकल्प कर दिया। इस तथ्य को देश ने ही नहीं, विदेशों से आने वाले व्यक्तियों ने भी स्वीकार किया है। जनसंघ के आलोचक भी इसका लोहा मानते हैं। यह सब सम्भव हुआ प्रचण्ड जन-समर्थन के कारण, सही नीति-निर्धारण और उसके प्रामाणिक कार्यान्वयन की वजह से, दृढ़ संकल्प और अनुशासित टोली के बल पर और सजीव संगठन तथा जीवटदार नेतृत्व के बूते पर।

एक ही थैली के चट्टे-बट्टे

जनसंघ को छोड़कर इस चुनाव में कांग्रेस के साथ दो-दो हाथ करने वाले सभी विरोधी दल कांग्रेस से टूटकर निकले हुए हैं। वे उन सभी दुर्बलताओं तथा दोषों से ग्रस्त हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस आज की स्थिति पर पहुंची है। इनमें से कुछ दल तथा नेता पुनः कांग्रेस की गोद में जाने के इच्छुक हैं। नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं का परस्पर टकराव मात्र इनकी वापसी के मार्ग में बाधा है।

चार सूत्रीय संकल्प

जनसंघ किसान को उसकी खेती की, व्यापारी को व्यापार की और उद्योग में लगे लोगों को उनके उद्योग-धन्धे के सरकारीकरण के भय से मुक्ति का आश्वासन देता है।

किसान को उसकी मेहनत और लागत के अनुसार गल्ले के लाभदायक मूल्य तथा हर वर्ग के उपभोक्ता को ठीक मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धि की आश्वस्ति जनसंघ का प्रमुख उद्देश्य होगा।

जनसंघ प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अक्षमता और अनुशासनहीनता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और प्रशासन तथा जनता के बीच की बढ़ती खाई को पाटेगा।

जनसंघ हर नागरिक के जीवन तथा सम्मान की रक्षा के प्राथमिक कर्तव्य का कठोरता से निर्वाह करेगा। राष्ट्र विरोधी तथा समाज विरोधी तत्वों का दृढ़ता से दमन किया जायेगा। उपद्रवकारियों को, फिर वे किसी भी दल, मजहब या जाति से सम्बंधित हों, ऐसी सजा दी जायेगी, जो दूसरों के लिए उदाहरण हो।

देश आज पुनः तिराहे पर खड़ा है। चुनाव पूंजीवाद और समाजवाद में नहीं, बल्कि यथास्थितिवाद और क्रान्तिकारी यथार्थवाद में है।

स्कन्डेनेविया के जिन देशों में गत २५ वर्षों से समाजवाद में आस्था रखने वाली सरकारें चल रही थीं उन्हें जनता ने अपदस्थ कर दिया है, क्यों कि पालने से लेकर मरघट तक सब कुछ करने वाली सरकारें

कई बार व्यक्तिगत उद्यम और परिश्रम के सभी द्वार बन्द कर लोगों को सुस्त, काहिल, परमुखापेक्षी तथा निरुद्देश्य बना देती हैं। दूसरी ओर, पूंजीवादी कहे जाने वाले देशों में राज्य का रूप जनकल्याणवादी हो चुका और हर नागरिक के भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सा तथा शिक्षा की प्राथमिक आवश्यकताओं की व्यवस्था राज्य का अनिवार्य दायित्व हो गया है।

सभी मतवादों से मुक्त, जनसंघ क्रान्तिकारी यथार्थवाद और यथार्थवादी क्रान्तिकारिता का हामी है। यथार्थ के नाम पर जो यथास्थिति को बनाये रखना चाहते हैं, वे युगधर्म की उपेक्षा करते हैं। किन्तु क्रान्तिकारिता के मोह में पड़कर जो यथार्थ की ओर से आँखें मूंद लेते हैं वे भी उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र नहीं कर सकते।

सत्तारूढ़ दल की भांति साम्प्रदायिक तुष्टीकरण और जातिवाद, इन दलों की भी चुनाव नीति का आधार है। सत्ता प्राप्ति की लालसा में इन दलों द्वारा छोटे-मोटे चुनाव समझौते किये जा रहे हैं। ये समझौते तथा गठबन्धन कोई भावात्मक तथा विधायक विकल्प नहीं प्रस्तुत करते हैं और न इनसे सम्बन्धित दलों तथा उनके नेताओं के विषय में यह आशंका समाप्त हो सकती है कि चुनावोपरान्त वे फिर केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस की छत्रछाया की तलाश नहीं करेंगे।

आगामी ५ वर्षों के लिए जनसंघ उत्तर प्रदेश के मत दाताओं के समक्ष निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत करता है :—

कार्य क्रम

कृषि

जनसंघ कृषि को उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की धुरी मानता है। किसान, खेती और खेत पर काम करने वाले मजदूर तथा कृषि से सम्बन्धित उद्योगों की प्रगति और संरक्षण जनसंघ की नीतियों का मूलाधार होगा। जनसंघ कृषि को एक आधुनिक उद्योग के रूप में विकसित करना चाहता है। इस कारण कृषि को अन्य उद्योगों के समान स्तर पर सुविधाएं, प्रोत्साहन और संरक्षण देगा।

१—खेती में लगी पूंजी और श्रम के आधार पर गल्ले के न्यूनतम दामों का निर्धारण करेगा, जिससे किसान को उसकी मेहनत का प्रोत्साहक फल मिल सके और अन्न का अधिक उत्पादन होकर देश आत्मनिर्भर बन सके।

हर फसल के पूर्व सरकार अनाज के न्यूनतम भावों की घोषणा करेगी, जिनका निर्धारण किसानों के वास्तविक प्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से होगा।

वर्तमान स्थिति में जनसंघ गेहूं का कम से कम १०५) रुपये तथा धान का कम से कम ८०) रुपये प्रति क्विंटल दाम निश्चित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता की सुविधा के लिए कम मूल्य पर सरकारी गोदाम से अन्न उपलब्ध कराया जायेगा।

२—इस वर्ष के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य १५) रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया जायेगा।

३—किसान को अधिकार होगा कि वह जहां और जिस मूल्य पर चाहे अपना अन्न बेचे। अतः किसान से लेवी नहीं ली जायेगी और न उसे सरकार को अपनी उपज बेचने के लिए विवश किया जायेगा।

४—अनाज के लाने ले जाने पर लगे सारे प्रतिबन्ध रद्द कर दिये जायेंगे।

५—खाद पर लगा उत्तर प्रदेश सरकार का ३ प्रतिशत का बिक्री कर समाप्त किया जायेगा तथा प्रयास किया जायेगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू १५ प्रतिशत का उत्पादन कर भी समाप्त कर दिया जाये।

६—सिंचाई के लिए बिजली सस्ती की जायेगी तथा बिजली के वितरण में खेती को प्राथमिकता दी जायेगी। नलकूपों पर लगा हुआ वर्तमान सरचार्ज समाप्त किया जायेगा।

७—निजी नलकूप लगाने पर सभी अनावश्यक सरकारी बन्धन हटाये जायेंगे।

८—जनसंघ भूमि-विकास-कर समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

९—छोटे किसानों को पांच साल तक बिना ब्याज लिए सरकारी ऋण

दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

१०—पानी के पम्प आदि की खरीद में भ्रष्टाचार से किसान को मुक्त करके किसान की इच्छानुसार सस्ते और अच्छे पम्प उपलब्ध कराये जायेंगे।

११—फसलों की बीमा योजना चालू की जायेगी।

१२—प्रत्येक किसान को एक परिचय पत्र दिया जायेगा, जिसमें उसकी भूमि का विवरण, लगान, देय-धन आदि अंकित किया जायेगा।

पड़ताल के समय लेखपाल सरकारी कागज के साथ इस परिचय पत्र पर भी इन्दराज करेगा।

१३—प्रदेश में ७७ प्रतिशत से अधिक जोतें अब भी अलाभकर हैं। इन्हें लाभकर बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कृषकों की सहायता के लिए बड़ी संख्या में सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जिनसे किसान खेती सम्बन्धी उपकरण, उनके उपयोग का प्रशिक्षण, उनकी मरम्मत, खेती के नये तरीकों की जानकारी तथा समय पर सहायता और सलाह प्राप्त कर सकेंगे।

१४—उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जो चिन्ताजनक है। वर्तमान स्थिति में उनकी न्यूनतम मजदूरी ५) रुपये प्रतिदिन निर्धारित की जायेगी तथा उसका कड़ाई से पालन कराया जायेगा। ग्राम समाज की भूमि तथा जोत की अधिकतम सीमा से बची जमीन खेतिहर मजदूरों में बांटी जायेगी।

१५—बहुत सी भूमि केवल कागज पर आवंटित की गई है। भूमिहीनों को इन जमीनों पर व्यावहारिक कब्जा दिलाने के लिए कानूनी व्यवस्था की जायेगी।

१६—स्वतन्त्रता के बाद पर्वतीय तथा तराई के इलाकों में जिन लोगों को भूमि दी गई थी, उन्हें जोत की अधिकतम सीमा के अनुरूप भूमिधरी के अधिकार दिये जायेंगे।

१७—वर्ग चार के मामलों को निपटाकर कब्जे दिये जायेंगे।

१८—गत २५ वर्षों में प्रदेश की सिंचित भूमि में केवल ५ प्रतिशत वृद्धि हुई है। हर खेत को पानी पहुंचाना जनसंघ का लक्ष्य होगा।

कृषि उद्योग

जनसंघ भूमि पर निर्भर लोगों की संख्या घटाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में कृषि सम्बन्धी कुटीर तथा छोटे उद्योगों का जाल बिछायेगा ।

वर्तमान कृषि उद्योग निगम अपने उद्देश्य में विफल सिद्ध हुआ है । उसकी कार्य प्रणाली भी दोषपूर्ण है । खेती और किसान के लिए, सहायक और उपयोगी सिद्ध होने के बजाय यह स्वयं एक व्यापारिक संस्थान बन गया है । जनसंघ इसके रूप और कार्यप्रणाली को बदल कर कृषि उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन का प्रभावी साधन बनायेगा ।

खाद्य नीति

उत्तर प्रदेश न केवल खाद्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकता है अपितु देश को स्वावलम्बी बनाने में भी भारी योगदान दे सकता है । सरकार की कृषक-हतोत्साहक नीतियों, गल्ले के व्यापार का सरकारीकरण तथा अन्न के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित सरकारी संस्थानों में भारी धांधली के कारण कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है । अन्न का खुला व्यापार और निर्बाध आवागमन, किसान से प्रोत्साहक मूल्य पर उसकी उपज की सरकारी खरीद तथा आवश्यकतानुसार बाजार भाव में संतुलन बनाये रखने के लिए उचित दर की दुकानों से सस्ते भाव पर अन्न की बिक्री जनसंघ की खाद्य नीति का आधार होगा ।

१—जनसंघ गरीबों को ८६ पैसे प्रति किलो गेहूं देगा ।

२—ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायेंगी ।

३—जनसंघ खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का आश्वासन देता है । इस सामाजिक अपराध को कड़ाई से रोका जायेगा तथा दोषियों को कठोर दण्ड दिया जायेगा । यह सावधानी बरती जायेगी कि निरपराध लोगों को परेशान न किया जाय ।

मिलावट विरोधी विभाग में रिश्वतखोरी को समाप्त करने के लिए उचित पग उठाये जायेंगे ।

उद्योग और व्यापार

उत्तर प्रदेश जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है । कांग्रेस के दीर्घ शासनकाल में प्रदेश की जनसंख्या, तथा प्राकृतिक सम्पदा के अनुरूप प्रदेश के उद्योग तथा व्यापार का विकास नहीं हुआ है । उल्टे गत वर्षों में अनेक छोटे-बड़े उद्योग और व्यापार सरकार की अयथार्थवादी तथा कोरे किताबी सिद्धान्तों पर आधारित नीतियों का शिकार बन दम तोड़ रहे हैं ।

केन्द्रीय सरकार की अवहेलना और प्रदेश के सत्ताधीशों की अदूरदर्शिता और अकर्मण्यता के कारण प्रदेश का औद्योगिक विकास अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है । व्यापार और उद्योगों में बढ़ते सरकारी हस्तक्षेप के भय से व्यापारी तथा छोटे-बड़े उद्योगों में पूंजी लगाने वाले सभी सशंकित हैं । जनसंघ का मत है कि उद्योग और व्यापार की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि संदेह और अनिश्चितता का वातावरण समाप्त किया जाये और लोगों को अधिकाधिक बचत करने और उसका समुचित विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये ।

मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

व्यापार

१—व्यापार के सरकारीकरण की वर्तमान दिशा को बदलकर व्यापार को सरकारी एकाधिकार से मुक्त किया जायेगा । आवश्यक होने पर सरकार उत्पादक तथा उपभोक्ता के हितों के रक्षण के लिए एक प्रतियोगी के रूप में बाजार में आ सकेगी ।

२—जनसंघ गल्ले के व्यापार के राष्ट्रीयकरण को समाप्त करेगा ।

३—बहु-सूत्री बिक्रीकर समाप्त किया जायेगा । केन्द्र पर जोर डाला जायेगा कि सम्पूर्ण देश में बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में बदले तथा सम्बन्धित प्रदेश को उसकी राशि दी जाये ।

उद्योग

जनसंघ विकेन्द्रित छोटे तथा कुटीर उद्योगों विशेषतः

यंत्रचालित छोटे उद्योगों को औद्योगिकीकरण और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रमुख साधन मानता है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिये जनसंघ ऐसी औद्योगिकी अपनायेगा, जिससे उत्पादन के साथ उसमें लगे हुए हाथ भी बढ़ेंगे। एक निश्चित कालावधि में हर हाथ को काम देने के जनसंघ के लक्ष्य की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्षेत्र में यही व्यूह रचना उपयुक्त होगी।

१—लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के उत्पादन क्षेत्रों का निर्धारण किया जायेगा। साधारणतः उपभोक्ता वस्तुओं का क्षेत्र मुख्यतः छोटे उद्योगों के लिए सुरक्षित किया जायेगा।

२—आगामी पांच वर्षों में हर ग्राम तथा क्षेत्र में कम से कम एक लघु उद्योग स्थापित किया जायेगा। इसके लिए निजी और सरकारी दोनों साधन जुटाये जायेंगे।

३—लघु उद्योगों को सहायता और मार्गदर्शन की दृष्टि से सम्पूर्ण प्रदेश को कई भागों में बांटा जायेगा तथा हर भाग में सहायता कार्यालय स्थापित किया जायेगा।

४—लघु और गृह उद्योगों के लिए दिये जाने वाले ऋण पांच वर्ष तक ब्याज से मुक्त रखे जायेंगे।

५—बिजली के वितरण में छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी।

६—लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की समुचित व्यवस्था होगी। कच्चा माल तथा क्रय-विक्रय (हायर परचेज) पर मशीनें देने के लिए लघु उद्योग निगम की कार्यक्षमता बढ़ायी जायेगी।

७—नये उद्योगों की स्थापना के लिए बिजली, पानी, भूमि तथा यातायात की विशेष सुविधायें दी जायेंगी तथा उनके द्वारा उत्पादित माल पांच वर्ष के लिए बिक्री कर से मुक्त रखा जायेगा।

८—उत्तर प्रदेश के तीन बड़े उद्योग—कपड़ा, चीनी तथा खाद्य तेल सरकार की गलत नीतियों से संकट ग्रस्त हैं। उनकी हालत सुधारने के लिए प्रभावी पग उठाये जायेंगे।

चीनी उद्योग के स्वामित्व के सम्बन्ध में अनिश्चितता से उसका विकास रुद्ध होगया है। जनसंघ इस अनिश्चितता को समाप्त करेगा।

चीनी खंडसारी तथा गुड़ के उत्पादन के सम्बन्ध में एक समन्वित नीति का निर्धारण किया जायगा।

९—बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए दूसरे प्रदेशों से भी पूंजी आकर्षित की जायगी।

१०—बड़े उद्योगों को स्वयं अपनी बिजली निर्माण की व्यवस्था करने के लिए उत्साहित किया जायगा।

श्रम

जनसंघ श्रमिक और मालिक के बीच बुनियादी संघर्ष के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता। अपने श्रम के रूप में मजदूर भी पूंजी लगाता है। दोनों का समसहयोग उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक है। जनसंघ दोनों में साझेदारी की स्वस्थ भावना पैदा करने का हामी है।

१—जनसंघ मजदूर को उद्योग के लाभ और प्रबन्ध दोनों में भागीदार बनायेगा।

२—सरकारी तथा गैर सरकारी उद्योगों में श्रम-कानून तथा कर्मचारियों की दृष्टि से हर प्रकार की समानता लाने की चेष्टा की जायेगी।

३—श्रम कानून कड़ाई से लागू किये जायेंगे।

४—जनसंघ आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने की गारन्टी देगा।

५—जनसंघ समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त का परिपालन करायेगा तथा केन्द्र व राज्य के पारिश्रमिक के अन्तर को समाप्त करने की दिशा में पग उठायेगा।

६—जनसंघ सम्पूर्ण वेतन को मूल्य सूचकांक के साथ सम्बद्ध करने की दिशा में प्रयत्नशील होगा तथा मजदूरों के लिये बड़े पैमाने और उचित दर पर भंडारों की व्यवस्था की जायेगी।

७—असुरक्षित और असंगठित मजदूरों के वास्ते नगरों में रात्रि को सोने के लिये रैन बसेरे स्थापित किये जायेंगे तथा उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी।

८—विशेष रूप से मजदूरों के लिए सायंकालीन विद्यालय खोले जायेंगे ।

९—सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों के लिये गठित निगमों के प्रबन्ध में मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ।

बिजली

१—बिजली का उत्पादन बढ़ाया जायेगा तथा हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिये जनसंघ कृत-संकल्प है ।

२—राज्य विद्युत परिषद में व्याप्त वर्तमान कुप्रबन्ध एवं अक्षमता के कारण उपभोक्ताओं की कठिनाइयां दूर की जायेंगी ।

३—केन्द्रीय सरकार पर जोर डाला जायेगा कि बिजली के उत्पादन के लिये उत्तर प्रदेश में छः परमाणु भट्ठियां स्थापित की जायें, जो प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हों । हाल ही में नरौरा में स्थापित भट्ठी से प्रदेश के विकास की बढ़ती आवश्यकतायें पूर्ण नहीं होंगी ।

परिवहन एवं यातायात

उत्तरप्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए परिवहन तथा यातायात की सुविधाओं का समुचित सीमा तक विकसित न होना बहुतांश में उत्तरदायी है । यहां रेल मार्ग भी तीन-तीन प्रकार के हैं, जिनसे यात्रियों और माल के आवागमन में अवरोध उत्पन्न होता है । जलमार्ग सर्वथा उपेक्षित है, सड़कें अपर्याप्त हैं । जनसंघ सड़क, रेल तथा नदियों से यातायात की एक सुबद्ध तथा समन्वित योजना बनायेगा ।

१—बड़े ग्रामों को पांच वर्ष के भीतर पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा ।

२—जनसंघ सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देगा । बस परमिट दिये जाने पर बन्धन नहीं होगा ।

३—राज्य परिवहन के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाई जायेगी तथा कैजुअल लेबर को भी सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जायेगी ।

४—सीमा क्षेत्रों को यातायात की दृष्टि से विशेष रूप से विकसित किया जायेगा ।

५—नदियों पर घाटों के प्रबन्ध की ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जायेगी और इनका प्रबन्ध नाविकों की सहकारी समितियों को सौंपा जायेगा ।

संतुलित क्षेत्रिय विकास

आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए जनसंघ, पूर्वी संभाग, उत्तरांचल तथा बुन्देलखंड की त्वरित प्रगति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएगा और दृढ़ता तथा प्रामाणिकता से उसका पालन कराएगा ।

पूर्वी जिलों की दयनीय दशा पर लोकसभा में सन १९६२ में काफी आंसू बहाए गए थे । फलस्वरूप पटेल समिति का निर्माण हुआ था, उसने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे । किन्तु उन पर अमल नहीं किया गया । केन्द्र सरकार ने १९६४-६५ में चार करोड़ रुपया देकर अपना हाथ खींच लिया । प्रदेश सरकार ने अपने सीमित साधनों का भी समुचित उपयोग नहीं किया । फलत : इन क्षेत्रों का पिछड़ापन और बढ़ा ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की मुख्य समस्यायें बाढ़ तथा सूखा हैं । इन्हें रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी । रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण के कार्यों तथा सड़क तथा पुल बनाने, कुएं, तालाब खोदने आदि का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हाथ में लिया जाएगा । छोटे उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाएगा ।

पर्वतीय संभाग प्राकृतिक साधनों से भरपूर तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास कर इस क्षेत्र को द्रुत औद्योगीकरण के लिए खोल दिया जाएगा । इस क्षेत्र में पूंजी लगाने वाले छोटे उद्योगपतियों को कच्चा माल तथा ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी । नये उद्योग बिक्री कर से मुक्त होंगे । उन्हें ट्रकों से माल लाने, ले जाने पर आर्थिक सहायता दी जायेगी । फलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और उन्हें डब्बे में बन्द करने आदि के उद्योग खोले जायेंगे । वन-सम्पदा का पूर्ण उपयोग किया जाएगा । जड़ी-बूटियों से औषधि बनाने के कारखाने खोले जायेंगे ।

बुन्देलखंड में भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों का विस्तार, भीतरी क्षेत्रों में सड़कें बिछाकर उन्हें मण्डियों तथा

रेल केन्द्रों से जोड़ना, गाँवों में पेय जल का प्रबन्ध करना तथा बन्जर भूमि को खेती योग्य बनाना प्राथमिक कार्य होंगे। यह क्षेत्र खनिजों तथा वन-सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध है। इनका उचित दोहन कर, इन पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी।

वन

वन उपज के लिए ही नहीं, अपितु भू-क्षरण को रोकने, बाढ़ का नियंत्रण करने तथा वर्षा में सहायक होने की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हैं। विगत वर्षों में उनके अधिकाधिक दोहन की नीति के परिणामस्वरूप उनके संवर्धन और संरक्षण की अवहेलना होती रही है। जनसंघ वर्तमान वन नीति में परिवर्तन करेगा, जिसका आधार वनवासियों एवं कृषकों के हितों का संरक्षण करते हुए वन–श्री का विकास और सदुपयोग होगा।

वनवासियों को वनों में कृषि के लिए टोंग्या पद्धति पर भूमि दी जायेगी। वनोपज संग्रह के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। वनों के ठेके से होने वाले लाभ में से वनवासी मजदूरों को बोनस दिया जायेगा। वनों के आसपास के ग्रामवासियों के परम्परागत निस्तार के अधिकार सुरक्षित रखे जायेंगे। अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

शिक्षा

शिक्षा का लक्ष्य मानवीय व्यक्तित्व का चौमुखी विकास है। वर्तमान शिक्षा पद्धति इसकी पूर्ति नहीं करती। वह न जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध करती है और न व्यक्ति को आजीविका कमाने लायक ही बनाती है।

आज प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित और उच्च शिक्षा उद्देश्यविहीन है। छात्र भविष्य के प्रति आशंकित और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति उदास हैं। अध्यापक अपने को अवहेलित अनुभव करते हैं। शिक्षाशास्त्री असहाय हैं। शेष समाज छात्र आन्दोलनों की बढ़ती हुई उग्रता को आँखें बन्दकर देखता है, किन्तु कुछ करने के कर्तव्य से कतराता है।

जनसंघ शिक्षा-पद्धति का पुनर्गठन करेगा। शिक्षा रोजगारोन्मुखी होगी। सरकारी नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी जायेगी। प्रत्येक पद के लिए पृथक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

कालेज में प्रवेश के पूर्व हर छात्र के लिए राष्ट्रीय सेवा, जिसका कार्यकाल कम से कम एक वर्ष होगा, अनिवार्य की जाएगी। इसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग, आजीविका के लिए उद्योग और उत्तरदायी नागरिक के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए परस्पर सहयोग से काम करने की शिक्षा दी जाएगी। छात्र हल चलाने से लेकर बन्दूक चलाने तक की निपुणता प्राप्त करेगा और राष्ट्र प्रेम, कर्तव्यपरायणता तथा नैतिकता के संस्कारों से ओतप्रोत होकर निकलेगा।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। इससे तोतारटन्त को बढ़ावा मिलता है और नकल करने की प्रवृत्ति पनपती है। जनसंघ इसमें परिवर्तन करेगा। उच्च शिक्षा के छात्रों को परीक्षा भवन में पुस्तक ले जाने की छूट होगी।

जनसंघ शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयत्नों का विरोधी नहीं है। किन्तु सरकारी तथा गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के संचालन तथा प्रबन्ध में ऐसा अन्तर नहीं रहने दिया जाएगा जिसमें शिक्षकों के प्रति भेदभाव हो और व्यावसायिकता को बढ़ावा मिले।

शिक्षकों के वेतनमान, भत्ते तथा पदोन्नति की सुविधायें अन्य सेवाओं की तुलना में इस प्रकार निर्धारित की जायेंगी कि योग्यतम व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आकृष्ट हों।

१—उत्तरप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ में इस प्रकार के संशोधन किए जायेंगे कि जिससे विश्वविद्यालयों की शैक्षिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक स्वायत्तता अक्षुण्ण बनी रहे और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकने की पूर्ण व्यवस्था भी बनी रहे। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रबन्ध, संचालन तथा निर्णय लेने वाले विभिन्न प्राधिकरणों में अध्यापकों का बहुमत हो तथा सभी स्तरों के एवं सभी वरिष्ठताओं के अध्यापकों का सहयोग

प्राप्त किया जा सके ।

२—उच्च शिक्षा में रत सभी अध्यापकों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित वेतनमान अविलम्ब एवं अनिवार्यतः प्रदान किये जायेंगे तथा अन्य सुविधायें यथा आवास, चिकित्सा, महंगाई भत्ता आदि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रचलित दरों पर दिये जायेंगे । गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरूप वेतनमान एवं भत्ते दिये जायेंगे ।

३—प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन में शिक्षाविद् रखे जायेंगे तथा इस आयोग के द्वारा अनुमोदित कोई व्यय सरकार द्वारा यथावत स्वीकृत कर दिया जायगा ।

४—छात्रों को इन संस्थाओं के प्रबन्ध एवं संचालन में उत्तरोत्तर सहभागी बनाया जायेगा ।

५—उच्च शिक्षा को समवर्ती बनाने के लिए प्रयत्न किया जायगा ।

६—अलीगढ़ विश्वविद्यालय के साम्प्रदायिक स्वरूप को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जायगा तथा आवश्यकतानुसार उससे अन्य विद्यालयों को सम्बद्ध करवाने का प्रयत्न किया जायगा ।

७—बुन्देलखण्ड तथा रोहिलखण्ड के लिए पृथक विश्वविद्यालय स्थापित किए जायेंगे ।

८—विश्वविद्यालयों को प्रेरित किया जायगा कि वे निकटवर्ती क्षेत्रों के उद्योगों, कृषि एवं सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये आवश्यक प्रविधि प्रदान करें तथा भारतीय मेधा एवं प्राकृतिक साधनों के उपयोग द्वारा चालित यांत्रिकों के आविष्कारों से प्रदेश की समृद्धि में भी योगदान करें। महान शक्ति के इन केन्द्रों को युगानुरूप भूमिका निर्वाह करने के लिए साधन प्रदान किये जायेंगे ।

९—तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रचुर मात्रा में अवसर उपलब्ध किए जायेंगे ताकि बढ़ते हुए उद्योगीकरण के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति प्राप्त हो सकें ।

१०—प्रौढ़ शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जायेंगे ।

युवा केन्द्र

प्रत्येक विकास खण्ड में एक युवा केन्द्र स्थापित किया जायेगा जहां युवकों के लिये खेलकूद, स्वास्थ्य निर्माण, पुस्तकालय तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी । जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता और दंगल आयोजित किए जायेंगे । प्रत्येक कमिश्नरी में एक स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा । अच्छे खिलाड़ियों को वजीफे दिये जायेंगे ।

युवकों के लिए अध्ययन, खोज, अनुसंधान, पर्वतारोहण, पर्यटन, दुर्गम प्रदेशों में भ्रमण आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

युवकों के लिए स्वस्थ तथा सस्ते मनोरंजन के साधन प्रदान कराये जायेंगे ।

महिला उत्थान

महिलाओं में नवजागरण की एक लहर आ रही है । जनसंघ उसे सही दिशा देगा जिससे महिलायें जीवन के हर क्षेत्र में अपना उचित स्थान तथा सम्मान प्राप्त कर, समाज के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दें । नारी का अपमान करने वाली सभी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए जन अभियान चलाया जायेगा । इसमें गैर सरकारी प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा । लड़कियों में शिक्षा के प्रचार के लिए विशेष प्रयत्न किये जायेंगे ।

एक पृथक 'महिला कल्याण विभाग' की स्थापना की जायेगी जो महिलाओं से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेगा, जानकारी जुटायेगा और उनके हल के लिए कार्यवाही करेगा ।

ग्रामीण श्रमिक महिलाओं के लिये ऐसे निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे जिससे उनकी औद्योगिक कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके ।

नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए बड़े नगरों में उनके आने-जाने के लिए परिवहन तथा निवास आदि की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी ।

पिछड़े वर्ग

१ सरकार के गठन के प्रथम दिन से ही समाज में शरीर से अक्षम

तथा बेसहारा लोगों के पूर्ण भरण-पोषण की जिम्मेदारी ली जायेगी।

२ अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्थाओं के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, फिर वे किसी भी जाति से सम्बन्धित हों, विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

३ जल नाविकों एवं श्रमिकों को जल उपजों, मत्स्य पालन एवं तटवर्ती भूमि (चहुला) पर कृषि उत्पादन के अधिकार दिये जायेंगे तथा ऐसी व्यवस्था की जायगी कि इस वर्ग के परम्परागत उद्योगों का आधुनिकीकरण भी किया जा सके।

४ भिक्षा माँगने पर कानूनी रोक लगाई जायेगी। भिखारियों के सुधार और उन्हें कमाने योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।

हरिजन कल्याण

जनसंघ का विश्वास है कि जन्म अथवा जाति से कोई ऊँच-नीच अथवा छोटा बड़ा नहीं होता। छुआछूत तथा जातपात की रूढ़ियां हिन्दुओं के सामाजिक दोष हैं, इन्हें दूर करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है। जनसंघ छुआछूत को समाप्त कर समाज को एकात्मता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए दृढ़संकल्प है।

जन-जागृति के प्रयत्नों के साथ, शताब्दियों से उपेक्षित तथा दलित वर्गों को निश्चित काल मर्यादा के अन्तर्गत अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे और दी गई सुविधाओं को व्यवहार में लाना होगा।

१ हरिजनों के विरुद्ध अत्याचार की बढ़ती हुई घटनाओं की रोकथाम के लिए हर जिले में पुलिस की विशेष व्यवस्था की जायेगी तथा हरिजन कल्याण अधिकारी को तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये जायेंगे।

२ हरिजनों को सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान दिये जायेंगे और उसका कड़ाई से पालन कराने के लिए एक विधान-मण्डलीय सतर्कता समिति गठित की जायेगी।

३ सर पर मैला ढोने के अमानवीय तरीके को एक साल के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा।

४ एक 'हरिजन कल्याण वित्तीय निगम' स्थापित किया जायेगा जो हरिजनों और पिछड़े वर्गों के आर्थिक उत्थान को सामने रखकर नियोजन करेगा।

५ भू-धृति की सीमा से बची तथा बेकार पड़ी सरकारी जमीनों के वितरण में हरिजनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

६ उद्योगों के लिए निर्धारित साधनों में से जनसंख्या के अनुपात से साधन निकालकर ऐसे परम्परागत उद्योगों में लगाये जायेंगे, जिनसे अनुसूचित जातियों के लिए नये रोजगार के अवसर बढ़ें और उनकी आय में वृद्धि हो।

प्रशासन

व्यापक भ्रष्टाचार, शिथिलता और अनुशासनहीनता के रोग से ग्रस्त उत्तर प्रदेश का प्रशासन निकम्मा और प्रभावहीन बन चुका है। चापलूसी, भाई-भतीजावाद और सिफारिश का सर्वत्र बोलबाला है। गत वर्षों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में तेजी से ह्रास हुआ है। विशेषतः गांवों में जानमाल की सुरक्षा शेष नहीं रही है। चोरी, डकैती कत्ल, राजनीतिक हत्यायें, हरिजनों तथा महिलाओं के प्रति अत्याचार तथा साम्प्रदायिक उपद्रवों में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान कुव्यवस्था के लिए मुख्यरूप से वे सत्तारूढ़ व्यक्ति जिम्मेदार हैं जो अपने व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। प्रशासन की क्षमता और ईमानदारी में जनसामान्य का विश्वास उठता जा रहा है।

जनसंघ इस स्थिति में आमूल परिवर्तन करेगा। प्रशासन को सक्षम, ईमानदार तथा संवेदनशील बनाया जायेगा। इसी से प्रशासन की साख पुनः स्थापित होगी और वह आर्थिक-सामाजिक पुनर्निर्माण की

प्रक्रिया में गति लाने का प्रभावी साधन बनेगा।

१ जनसंघ एक स्थाई उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग का प्रावधान करेगा, जो भ्रष्ट मंत्रियों, अफसरों-सार्वजनिक नेताओं तथा अन्य बड़े से बड़े व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करके मुकदमा चलायेगा। मुख्यमंत्री भी इसकी परिधि से बाहर नहीं होगा।

२ प्रशासन में व्याप्त अफसरशाही और लाल फीताशाही समाप्त की जायेगी। हर प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी निश्चित की जायगी जिसकी पूर्ति निश्चित अवधि में अनिवार्य होगी।

३ पुलिस विभाग का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठन किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर स्थित स्थानों में भी जीपगाड़ी, मोटर साइकिल, वायरलेस तथा टेलीफोन आदि जैसी सामान्य सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी जिससे पुलिस चुस्ती और साहस से काम कर सके। भ्रष्टाचार का कठोरता से दमन किया जायेगा तथा जुर्मों की पकड़ और जांच के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी समझा जायेगा। थानों में रिपोर्ट न लिखने आदि की आम शिकायतों पर सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अपराध के संबंध में पकड़े गए लोगों को यातनायें देने के निकृष्ट तरीके बन्द कर के वैज्ञानिक तरीके अपनाने की व्यवस्था की जायेगी।

४ डकैती, बलवे आदि की रोकथाम में जोखिम और साहस से कार्य करने वाले सिपाहियों और अधिकारियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जायेगा। जो कर्तव्य पालन में वीरगति को प्राप्त होंगे उनके परिवार के लिए सेना में प्रचलित नियमों के अनुरूप पेंशन आदि की व्यवस्था की जायेगी।

५ खुफिया विभाग को सामान्य पुलिस से अलग किया जायेगा। दोनों विभागों में तालमेल की व्यवस्था रहेगी।

६ जनसंघ सभी प्रकार के उपद्रवों को रोकने के लिए प्रभावशाली पग

उठायेगा। साम्प्रदायिक उपद्रव करने वालों के प्रति, फिर वे किसी भी वर्ग से सम्बन्धित हों, किसी प्रकार की दया नहीं दिखाई जायेगी। अपराधियों को ऐसा दण्ड दिया जायेगा जो दूसरों के लिए उदाहरण बने। क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

सरकारी कर्मचारी

७ भारत के संविधान की धारा ३०९ के अन्तर्गत हर प्रदेश सरकार को अपने कर्मचारियों की भरती और सेवा सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कानून पारित नहीं किया गया। यहां अंग्रेजी काल से चला आया 'सिविल सर्विस रेगुलेशन' अब तक जारी है। परिणामतः सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियम, मंत्रियों की स्वेच्छा का शिकार बने हुए हैं। जनसंघ संविधान के अनुसार सरकारी कर्मचारी अधिनियम बनायेगा, जिससे उनकी सेवा की सुरक्षा और सेवा शर्तों की निश्चिन्तता को वैधानिक मान्यता मिल सकेगी।

८ पुलिस, पी० ए० सी० तथा होमगार्डस, तथा नागरिक सुरक्षा के महकमों के वेतनक्रम, सेवा सुविधायें तथा पदोन्नति के अवसर समान किये जायेंगे। इन महकमों में प्रचलित बेगार को कड़ाई से रोका जायेगा।

९ जनसंघ समान कार्य के लिए समान वेतन देने का हामी है। अतः प्रादेशिक सरकार और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनमान, मंहगाई भत्ता आदि केन्द्रीय सरकार के समान किये जायेंगे। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सम्पूर्ण वेतन को मूल्य सूचकांक के साथ सम्बद्ध किया जायेगा। उनका मकान भत्ता, शहरी भत्ता, स्वास्थ्य भत्ता और बच्चों के लिए शिक्षा-भत्ता आदि भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर किया जायेगा।

राज्य कर्मचारियों को तीर्थयात्रा तथा पर्यटन के लिए विशेष

अवकाश तथा अन्य सुविधायें दी जायेंगी ।

१० तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात बहुत से कर्मचारी, जो अब तक 'आयकर' की सीमा से बाहर थे, उसकी परिधि में आ जायेंगे । इससे उनके वेतन में हुई वृद्धि, व्यवहार में न के बराबर रह जायेगी । जनसंघ 'आयकर' की न्यूनतम सीमा को ७५००/- रुपए वार्षिक आय तक बढ़ाने का पक्षपाती है ।

११ सरकार द्वारा हाल में लिए गए इस अधिकार को कि स्थाई कर्मचारियों को भी बिना किसी जाँच-पड़ताल के तीन मास का नोटिस देकर हटाया जा सकता है, जनसंघ अन्यायमूलक मानता है और उसे समाप्त करेगा ।

१२ पदोन्नति का आधार ज्येष्ठता, योग्यता और प्रमाणिकता होगी । सिफारिश और प्रवर अधिकारी की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाई जायेगी ।

१३ बीस-बीस वर्षों तक कर्मचारियों को अस्थाई रखने की वर्तमान पद्धति को समाप्त कर जनसंघ ऐसे सभी कर्मचारियों को स्थाई करेगा, जो तीन वर्ष की सेवा कर चुके होंगे ।

१४ बढ़े हुए मूल्यों के अनुरूप पेंशन की दरों में वृद्धि की जायेगी ।

१५ कर्मचारियों की शिकायतों और समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थाई एवं प्रभावी वार्ता तंत्र स्थापित किया जायेगा ।

१६ कर्मचारियों की आवास व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग पर डाली जायेगी । हर विभाग का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों के लिए समुचित संख्या में मकानों का निर्माण करे ।

राजभाषा

१ हिन्दी उत्तरप्रदेश की राजभाषा है किन्तु खेद है कि हिन्दी अब भी राजकाज में पूर्णतः प्रस्थापित नहीं हो सकी है । व्यवहार में अभी

तक अंग्रेजी स्थान-स्थान पर छाई हुई है । जनसंघ प्रदेश के प्रशासन में हिन्दी को पूरी तरह लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प है ।

२ 'उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोग' की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जायेगी ।

३ जनसंघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता को समाप्त कराने का प्रयास करेगा, जिससे अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र प्रतियोगिता में पीछे न रहें ।

उर्दू

यह बड़े खेद का विषय है कि उर्दू के प्रश्न को साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक रंग दिया गया है । कुछ दल संकुचित स्वार्थ की सिद्धि के लिए उर्दू को लेकर विभिन्न भाषाभाषी वर्गों में तनाव की स्थिति पैदा करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं ।

उर्दू भारत में जन्मी है । उसकी जमीन, उसका व्याकरण वही है, जो हिन्दी का है । जो लोग उर्दू को किसी एक सम्प्रदाय के साथ जोड़ते हैं, वे उसका अहित ही करते हैं ।

उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है और न वह सभी मुसलमानों की ही भाषा है । भाषा का सम्बन्ध क्षेत्र से होता है, मजहब या पूजा-पद्धति से नहीं ।

यद्यपि मुस्लिम लीग ने भारत को बांटने के लिए उर्दू को अलगाव के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, फिर भी विभाजन के बाद उर्दू जम्मू-काश्मीर की राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही । पंजाब में उर्दू का प्रयोग आज भी व्यापक पैमाने पर होता है ।

जनसंघ उर्दू के पठन-पाठन की पूर्ण सुविधाएं देने का हामी है ।

उर्दू की उच्चतम शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। उसके लिए पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण जरूरी है। किन्तु जहाँ उर्दू पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं, वहाँ उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापकों की नियुक्ति एक गलत कदम है, जिससे अनावश्यक विरोध पैदा होता है।

जनसंघ उर्दू के सम्पूर्ण साहित्य को देवनागरी लिपि में लाने और उसे हिन्दी साहित्य के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ाये जाने का प्रबन्ध करेगा।

उत्तरप्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की मांग ऐसे कारणों से प्रेरित है जिसका उर्दू भाषा के प्रसार तथा उसके साहित्य के विकास के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जनसंघ इस मांग को अस्वीकृत करता है और अन्य दलों से आग्रह करता है कि सत्ता की होड़ में पृथकता को प्रोत्साहन देने का पाप न करें।

न्याय

१—न्याय, सस्ता और सुगम करने के लिए आवश्यक पग उठाये जायेंगे।

२—दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधा के लिए घूमते-फिरते न्यायालयों की व्यवस्था की जायेगी।

३—जनसंघ काम के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करेगा। उनके परिलाभ आदि आर्थिक स्थिति के अनुरूप बढ़ाये जायेंगे।

४—पश्चिम उत्तरप्रदेश में भी हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जायेगी।

स्थानिय निकाय एवं पंचायत राज

१—सरकार के अनुचित हस्तक्षेप के अधिकारों की समाप्ति के लिए 'नगर महापालिका अधिनियम' तथा 'नगरपालिका अधिनियम' में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे, जिनमें पाँच वर्षों में चुनाव कराने की वैधानिक प्रतिबद्धता भी शामिल होगी। जनप्रतिनिधियों के

प्रशासनिक अधिकार बढ़ाये जायेंगे।

२—स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वावलम्बी बनाने के लिए मनोरंजन कर, सड़क परिवहन कर तथा बिक्री कर का एक भाग उन्हें दिया जायेगा। उत्तराखंड तथा कुमायूँ आदि के पहाड़ी क्षेत्रों और अन्यत्र वन-खण्डों की आय का एक भाग ग्राम पंचायतों भी दिया जायेगा तथा अन्य नये उपाय निर्मित किये जायेंगे।

३—स्थानीय निकायों एवं जिला परिषदों के सेवारत कर्मचारियों व पंचायत मंत्रियों के लिए सेवा नियमावली बनाई जायेगी।

४—जिला परिषदों का पुनर्गठन किया जायेगा।

५—ग्राम पंचायतों को भारतीय परम्परा के आदर्श के रूप में विकसित किया जायेगा।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

सभी चिकित्सा पद्धतियों को उचित मान्यता देते हुए आयुर्वेद का राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में विकास किया जायेगा और उसे स्वास्थ्य संवर्धन का माध्यम बनाया जायेगा। प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में औषधालय खोले जायेंगे। धीरे-धीरे नष्ट होने वाले परम्परागत घरेलू नुस्खों तथा यूनानी औषधियों पर शोध करने के लिए प्रावधान किया जायेगा।

होमियोपैथी पद्धति बहुत सस्ती एवं परिणामजनक है। उसके विस्तार के लिए सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी।

उन अस्पतालों में जहाँ डाक्टर नहीं हैं शीघ्र ही डाक्टरों की नियुक्ति की जायेगी।

चलते-फिरते औषधालयों का प्रबन्ध किया जायेगा जिससे गरीब और ग्रामीण रोगियों को भी समुचित चिकित्सा हो सके।

जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जनसंघ इस बात की व्यवस्था

करेगा कि दवायें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं आवश्यक वस्तुयें शुद्ध रूप में मिल सकें ।

रोगों की रोकथाम करने के साथ-साथ जनसंघ का प्रयत्न होगा कि जनसामान्य में स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़े । जनसंघ ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रोत्साहन देगा जो योगासनों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करेंगे ।

सहकारिता

उत्तर प्रदेश में सहकारिता एक बड़ी हद तक विफल हुई है । इसकी सदस्यता में गिरावट आई है । एक तो १७ % आबादी वाले इस राज्य को सहकारिता के मद में देश का कुल ३.५ प्रतिशत ऋण मिला है, दूसरे व्यापक भ्रष्टाचार ने इसका रहा-सहा प्राण भी निचोड़ लिया है ।

जनसंघ सहकारिता आन्दोलन में नवीन प्राण प्रतिष्ठा करेगा । किसानों को ऋण, बीज, सलाह, खाद आदि के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं के पास जाना पड़ता है । भारतीय जनसंघ ऐसी एकीकृत सहकारी समितियों का जाल बिछायेगा जो किसानों को उनकी आवश्यकता की तमाम सुविधायें—ऋण, बीज, खाद, सलाह और उपकरण आदि एक ही समिति से उपलब्ध हो सकें । यह पूर्व संकल्पित किसान सेवा केन्द्रों के साथ परस्पर पूरक के रूप में कार्य करेंगे ।

जनसंघ रिक्शा सहकारी संस्थाओं, कारीगरों तथा पिछड़े वर्गों की सहकारी समितियों को यथेष्ट ऋण और प्रोत्साहन देगा ।

जनसंघ ग्रामीण बचतों तथा ऋण व्यवस्था के लिए सहकारिता को प्रोत्साहन देगा । इसके अलावा कोष सहकारिता, विपणन सहकारिता, जमीन विकास सहकारी बैंक आदि का भी विकास करेगा ।

तीर्थ स्थान

तीर्थ स्थानों को उनके धार्मिक महत्व के अनुरूप विकसित किया

जायेगा तथा उनकी पवित्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक पग उठाये जायेंगे । पहाड़ों में स्थित तीर्थ स्थानों को पर्यटकों को आकर्षित करने मात्र के लिए विकसित किये जाने की प्रवृत्ति पर जनसंघ अंकुश लगायेगा । हर स्थिति में तीर्थ स्थानों की गरिमा की रक्षा की जायेगी ।

तीर्थ स्थानों के निकटवर्ती नदियों में गन्दे पानी के नालों का गिरना रोका जायेगा, जिससे जनता को स्नान और पेय के लिए पवित्र जल मिल सके ।

तीर्थ स्थानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में मद्यपान पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ।

ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जायेगा ।

गो-रक्षा

१ गाय भारत का राष्ट्रीय मान-बिन्दु और कृषि का आधार है । जनसंघ केन्द्रीय सरकार पर जोर डालेगा कि संविधान में संशोधन कर के गो-वंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये, जिससे उत्तर प्रदेश के गो-वध बन्दी कानून की कमियां भी दूर हो सकें ।

२ प्रदेश से गो-वंश की निकासी बन्द की जायेगी ।

३ गो-हत्या कानून का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जायेगा ।

४ गो-पालन, कृषि विकास कार्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया जायेगा । तदनुसार चरागाह छोड़ने, वैज्ञानिक आधार पर उनका विकास करने, गो-सदनों, गोशालाओं, डेरियों आदि की स्थापना के कार्यक्रम अपनाये जायेंगे ।

५ प्रत्येक वन खण्ड में पशुपालन में लगे व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं दी जायेंगी ।

६ गायें, भैंस, आदि का कांजीहाउस का जुर्माना घटाया जायेगा और वहां पशुओं की नीलामी की प्रथा को रोक कर उन पशुओं को गैर

सरकारी गो-शालाओं को देने की योजना की जायेगी ।

७ जनसंघ की गो-वंश के रक्षण और संवर्धन की नीति का उद्देश्य प्रदेश में धवल क्रान्ति का श्रीगणेश करना होगा ।

आवाहन

उत्तर प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। अतीत में धर्मचक्र का प्रवर्तन करने वाले प्रदेश पर आज पुनः परिवर्तन का चक्र घुमाने का दायित्व आया है। मतपत्रों का महाभारत न केवल प्रदेश के भाग्य का निर्णय करेगा बल्कि भारत की भावी दिशा का भी निर्धारण करेगा ।

प्रदेश के ५ करोड़ मतदाताओं को निर्णय करना है कि सत्ता-लोलुपता को पुरस्कृत करें या निःस्वार्थ सेवा भावना को, सिद्धान्तविहीन राजनीति को पुरस्कृत करें या आदर्शवादी लोकनीति को, अनुशासनहीनता को अलंकृत करें या अनुशासनप्रियता को। एक ओर राजशक्ति है, दूसरी ओर लोक शक्ति। एक ओर पैसा है, दूसरी ओर पसीना। एक तरफ साम्यवादियों और सम्प्रदायवादियों के साथ नितान्त अवसरवादी तथा देशघाती घिनौना समझौता है और दूसरी तरफ है राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय की पताका लेकर अकेले जूझने का अदम्य साहस ।

यह निर्णायक क्षण महान क्रान्तिकारी संभावनाओं के साथ हर मतदाता के पास विवेकों का आवाहन लेकर आया है। आप परिवर्तन का आरंभ करें या वर्तमान जड़ता, कुंठा पर अपनी मोहर लगा दें, यह आपके हाथ में है। स्मरण रखिये आपका अपना अकेला मत पुनर्जागरण का मत और पुनर्निर्माण का प्रथम सोपान सिद्ध हो सकता है ।

आइये, गंगा और यमुना के पवित्र जल से अभिसिंचित इस प्रदेश को समृद्धि और संतोष से परिपूर्ण कर के सारे देश का सिरमौर बनाने के लिए अपने मताधिकार का सही उपयोग करें। आप हमें सेवा का अवसर दीजिए, हम आप को शिकायत का अवसर नहीं देंगे ।

❀ **वन्दे मातरम्** ❀